सिद्दंकी राम रेड्डी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्या 1852/2008

जुलाई 27, 2010

आर एम लोढ़ा और ए के पटनायक

दंड संहिताए 1860:

धारा 302 हत्या- नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्वि- में हस्तक्षेप- अभिनिर्धारित: जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता तो ऐसे सबूतों पर दोषसिद्धि को कायम रखना असुरक्षित होगा और निचली अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना होगा तत्काल मामले में - ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने यांत्रिक रूप से अभियोजन पक्ष के सबूतों पर भरोसा किया कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने अदालत परिसर में मृतक पर हमला किया था -बिना यह समझे कि आरोपी की पहचान के संबंध में गवाहों के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को कायम रखना असुरक्षित था। भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 -साक्ष्य -परीक्षण पहचान परेड।

साक्ष्य

अभियुक्तों की पहचान - परीक्षण पहचान परेड का उद्देश्य- अभिनिर्धारितर पहले की पहचान के रूप में चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि करना: वर्तमान मामले मेंए

परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने वाले तीन गवाहों में से दो आरोपी को हमलावर के रूप में पहचानने में विफल रहे और तीसरे ने आरोपी को पहले पुलिस स्टेशन में देखा था - इसके अलावाए उन्होंने हमलावर को बहुत कम समय के लिए देखा था - जब भीड़ द्वारा मृतक पर हमला किया जाता है और चश्मदीद गवाहों के पास आरोपी को देखने के लिए बहुत कम समय थाए इसलिए ठोस सबूतों की पर्याप्त पुष्टि की जानी चाहिए

परीक्षण पहचान परेड - दंड संहिता 1860-धारा 302

अदालत परिसर में शिकायतकर्ता के बेटे की हत्या के लिए अपीलकर्ता सहित पन्द्रह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ए-11 से ए-15 तक फरार थे। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता ;ए-1 को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। 302 आईपीसी और ए-2 से ए-10 तक को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई।

ए-1 द्वारा दायर अपील मेंए अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता सी को दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं थाए क्योंकि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् पी-डब्ल्यू- 1ए 5 और 6ए अपीलकर्ता की पहचान नहीं कर सकाय और यह कि परीक्षण पहचान परेड निष्पक्ष नहीं थी क्योंकि गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों में से केवल अपीलकर्ता और अन्य को ही परीक्षण पहचान परेड के अधीन किया गया था।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 यह सच है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा साक्ष्य के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों पर आम तौर पर अपील में इस ई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया

जाता है। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने ए-सुबैर मामले में माना है जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता तो ऐसे साक्ष्यों पर दोषसिद्धि को कायम रखना असुरक्षित होगा और निचली अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने स्वचालित रूप से पीडब्लू 1, 5 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा किया है कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने अदालत परिसर में मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया थाए बिना इस बात की परवाह किए हमलावर की पहचान के संबंध में पीडब्ल्यूएस 1, 5 और 6 के साक्ष्य पर जी की सजा को बरकरार रखना असुरक्षित है। पैरा 22, 1133-एफ-एच, 1134-ए-सी,

ए-सुबैर बनाम केरल राज्य ;2009 6 एससीसी 587य मनकामिना बनाम केरल राज्य 2009 ;14 एससीआर 1152 = ;2009 एच10 एससीसी 164, पर निर्भर

1.2 मृतक के पिता पीडब्लू.1 का साक्ष्य अपीलकर्ता को हमलावर के रूप में नामित करना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि हालांकि उन्होंने कहा है कि वह अपीलकर्ता को नाम से जानते थे एफआईआर में जो घटना के एक घंटे से भी कम समय में दर्ज की गई थी। उन्होंने अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया है। परीक्षण पहचान बी परेड की कार्यवाही से पता चलता है कि पीडब्लू.1 ने किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं की है। गवाह बॉक्स में पीडब्लू.1 द्वारा दिया गया बयान अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था। उसके संदेह पर प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने द्वेष के कारण मृतक की हत्या कर दी होगी। पीडब्लू.1 का यह संदेह उसकी अपनी गवाही से साबित होता है। पैरा 14 15, 1129 बी, सी, एफ जी

राम कुमार पांडे बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1975 8 एससीआर 519; 1975 3 एससीसी 815ए पर निर्भर।

1.3 पीडब्लू.5, जो प्रांसागिक समय पर कोर्ट कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था, का दावा है कि उसने अपीलकर्ता को घटना की तारीख पर देखा था जब उसने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। परीक्षण पहचान परेड में उन्होंने अपीलकर्ता की पहचान हमलावर के रूप में की। हालाँकि उसका साक्ष्य यह है कि जब अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों को 11.3.2005 को अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया था तब वह उपस्थित था और इसलिएए वह 11.3.2005 को अपीलकर्ता की शारीरिक विशेषताओं को जानता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब 23.4.2005 को परीक्षण पहचान परेड हुई तो पीडब्लू.5 ने न केवल अपीलकर्ता को देखा थाए बल्कि उसे यह भी पता था कि वह 28.2.2005 को अदालत परिसर में हुई हत्या का आरोपी था। इसलिए उनका यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता ही हमलावर था, विश्वसनीय नहीं है। पैरा 17-18, 1130 जी एच 1131 ए एफ

लाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2003 12 एससीसी 554 पर निर्भर।

1.4 अदालत ड्यूटी पर मौजुद एक अन्य कांस्टेबल भी पीडब्लू-6 ने भी कहा कि उसने हमलावर को मृतक एच पर हमला करते देखा था कोर्ट परिसर में कुल्हाड़ी के साथ ए, हमलावर के रूप में अपीलकर्ता की पहचान के संबंध में पीडब्लू.6 के साक्ष्य पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि परीक्षण पहचान परेड में उसने कहा है कि संदिग्ध के दाहिने गाल पर चोट का निशान हैय जबकि परीक्षण पहचान परेड का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेटबी; पीडब्लू.34, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनकी रिपोर्ट; एक्स पी64 के अनुसार दोनों संदिग्धों में से किसी के भी दाहिने गाल पर चोट का निशान नहीं था पैरा 4 और 19, 1125 बी सी, 1132.बी.सी

2.1 इस न्यायालय ने दयासिंह मामले में माना है कि परीक्षण पहचान का उद्देश्य चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को पहले की पहचान के रूप में पुष्टि करना है और गवाह का वास्तविक साक्ष्य ही न्यायालय में साक्ष्य है। मौजूदा मामले के तथ्यों में एक भीड़ ने अदालत के डी भीड़ भरे गलियारे में मृतक पर हमला किया और अदालत में अपने साक्ष्य में पीडब्लू.1ए पीडब्लू.5 और पीडब्लू. 6 ने अदालत में अपनी साक्ष्य में दावा किया कि उन्होंने अपीलकर्ता को मृतक का पीछा करते और हमला करते देखा था। उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। इन तीनों चश्मदीदों ने यह भी कहा है कि हमले के तुरंत बाद अपीलकर्ता अदालत परिसर से भाग गया। इसप्रकारउन्होंने हमलावर को बहुत कम समय के लिए देखा जब उसने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके बाद जब वह अदालत परिसर से भाग गया। जब किसी भीड़.भाड़ वाली जगह पर भीड़ द्वारा मृतक पर हमला किया जाता है और एफ. गवाहों के पास आरोपी को देखने के लिए बहुत कम समय होता हैए तो घटना के तुरंत बाद आयोजित परीक्षण पहचान परेड और किसी भी देरी से पर्याप्त सबूतों की पर्याप्त पुष्टि की जानी चाहिए। परीक्षण पहचान परेड को आयोजित करना घातक अभियोजन मामला माना जा सकता है। पैरा 20 1132 डीएच 1133.ए

दयासिंह बनाम हरियाणा राज्य 2001; 1 एससीआर 1115 2001;3 एससीसी 468 लालसिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू पी 2003;12 एससीसी 554, पर निर्भर।

2.2 इसके अलावा परीक्षण पहचान परेड अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्ष नहीं रही है। हालाँकि आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था ए केवल अपीलकर्ता और एक अन्य को परीक्षण पहचान परेड में गवाहों के सामने पेश किया गया था। इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर बहुत अधिक संदेह की गुंजाइश बनती है कि अपीलकर्ता के अलावा

कोई और हमलावर नहीं था। इसलिए परीक्षण पहचान परेड द्वारा संदिग्ध की पहचान पर पीडब्लू 1ए 5 और 6 के ठोस साक्ष्य की पुष्टि भरोसेमंद नहीं है। पैरा 21, 1133-बी-ई

महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश 2002;1 एससीसी 471ए प्रतिष्ठित।

केस कानून संदर्भ

1975 (8) एससीआर 519	पर भरोसा	पैरा 14
(2003) 12 एससीसी 554	पर भरोसा	पैरा 18
2001 (1) एससीआर 1115	पर भरोसा	पैरा 20
2002 (1) एससीसी 471	विशिष्ट	पैरा 21
(2009) 6 एससीसी 587	पर भरोसा	पैरा 22
(2009) 6 एससीसी 1152	पर भरोसा	पैरा 22

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 1852/2008

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद आपराधिक अपील संख्या 147/2006 के निर्णय और आदेश दिनांक 4.7.2008 से।

अपीलकर्ता के लिए सुशील कुमार, आदित्य कुमार, गुंटूर प्रभाकर।

प्रतिवादी की ओर से राम कृष्ण रेड्डी, अल्ताफ फातिमा (डी भारती रेडी) के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए.के.पटनायक जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह आपराधिक अपील संख्या 147/2006 में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के 4 जुलाई 2006 के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील है।

2. तथ्य संक्षेप में यह है कि 28 फरवरी 2005 को साईबराबाद में आर.आर. के अदालत परिसर में एक कोमिडी साईं बाबा रेड्डी; मृतक की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने थाना प्रभारी पी.एस. के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई। एलबी नागर का आरोप है कि 28 फरवरी 2005 को सुबह 11 बजे जब मृतक अदालत में आ रहा था तो नरसिम्हा रेड्डी के बेटे श्री निवास रेडडी और अन्य लोगों ने मृतक की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उसे कुल्हाड़ी से काट दिया और यह सब पुराने प्रतिशोध के कारण किया गया था। जांच के बाद द्वितीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आर आर जिला साईबराबाद की अदालत में अपीलकर्ता सहित डी 15 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जैसाकि आरोपी नम्बर 11 से 15 लोग फरार थे मामले को विवादित कर दिया गया और आरोपी नम्बर 2005 के सत्र वाद संख्या 195 में 1 से 10 तक कई आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया मुकदमे के बाद 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश; एफटीसी ने आरोपी नम्बरों को बरी कर दिया आरोपों में से 2 से 10 और अपीलकर्ता जो आरोपी नम्बर एक था को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कठोर कारावास और 25,000. रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। डिफोल्ट रूप से एक वर्ष के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

3. अपीलकर्ता के वकील श्री सुशील कुमार ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मृतक की अदालत परिसर में भीड़ द्वारा हत्या कर दी थी और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि यह अपीलकर्ता ही था। जिसने मृतक की हत्या की थी। उन्होंने हमें पीडब्लू1 पीडब्लू.5 और

पीडब्लू 6 के साक्ष्यों से अवगत कराया जो अभियेाजन पक्ष के अनुसार चश्मदीद गवाह है। यह दिखाने के लिए उनमें से कोई भी मृतक के हमलावर की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने एफआईआर एक्सटी पी1 का हवाला दिया कि दर्ज एफआईआर में अपीलकर्ता राम रेडडी का नाम नहीं था। पीडब्लू.1 द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में नामित आरोपी व्यक्ति नरसिम्हा रेड्डी के बेटे और श्री निवास रेड्डी हैं और अपीलकर्ता न तो नरसिम्हा रेड्डी का बेटा है और न ही श्रीनिवास रेड्डी का, इसलिएए पीडब्लू .1 का सबूत है कि अपीलकर्ता हमलावर था, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है।

4. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्ल्यू 5 और 6 पुलिस कांस्टेबल थे जो अदालत में ड्यूटी कर रहे थे और वे अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और फिर भी उन्होंने अदालत के सामने गवाही दी कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू5 ने कहा है कि अपीलकर्ता ने कुर्ता और लची पहना हुआ था जबकि अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने वाले पुलिस निरीक्षक; पीडब्लू.36 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता ने न तो कुर्ता और न लची पहना हुआ था।

5. उन्होंने आगे कहा कि टेस्ट पहचान परेड बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और आठ अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन केवल अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष टेस्ट पहचान परेड में गवाहों के सामने पेश किया गया था। पीडब्लू.34 उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलकर्ता को 9 मार्च 2005 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसे गिरफ्तारी के लगभग 54 दिन बाद 23 अप्रेल, 2005 को परीक्षण पहचान

परेड में पेश किया गया था और परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में इस अत्यधिक देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

6. उन्होंने प्रस्तुत किया कि परीक्षण पहचान परेड में किसी भी मामले में पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू 5 व 6 अपीलकर्ता की ठीक से पहचान नहीं कर पाये है उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक के पिता पी.डब्ल्यू.1 ने अपीलकर्ता की बिल्कुल भी पहचान नहीं की है उन्होंने तर्क दिया है कि पी.डब्ल्यू.5 व 6 के पास परीक्षण पहचान परेड से पहले अपीलकर्ता को देखने का पर्याप्त अवसर था और वास्तव में जब अपीलकर्ता को गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ अदालत में पेश किया गया था पी.डबल्यू.5 पुलिस के सदस्यों में से एक था एक्कोर्ट पार्टी और इसलिए वह टेस्ट पहचान परेड से पहले जानता था कि आरोपी कौन था उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.6 ने पहचान परेड करने वाले मजिस्ट्रेट पी.डब्ल्यू.34 के समक्ष कहा है कि वह अपीलकर्ता की पहचान कर सकता है। गाल पर चोट के निशान का आधार, लेकिन पीडब्लू.34 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलकर्ता के पास वास्तव में ऐसा कोई निशान या घाव का निशान नहीं था।

7. श्री सुशील कुमार ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि उचित संदेह से परे यह स्थापित करने के लिए किसी भी विश्वसनीय सबूत के अभाव में कि अपीलकर्ता ही अदालत परिसर में भीड के बीच हमलावर था भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया। कायम नहीं रखा जा सकता उनके अनुसारए यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए और अपीलकर्ता सी को बरी कर दिया जाना चाहिए

8. दूसरी ओर अन्ध्रप्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राम कृष्ण रेड्डी ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का समर्थन किया। उन्होंने डी को

प्रस्तुत किया कि मृतक की हत्या सुबह 11 बजे हुई थी। अदालत परिसर में दिन के उजाले में अदालत के घंटों के दौरान और जनता के सामने हुई थी और पीडब्लू.1 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या कर दी बदला क्योंकि अपीलकर्ता के बहनोई नरसिम्हा रेड्डी की 22 सितम्बर 2004 को हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहाकि अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क कि पीडब्लू.1 द्वारा एफआईआर में उनका नाम नहीं है सही नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफआईआर एक्स पी1 में नरसिम्हा रेड्डी के बहनोई को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अपीलकर्ता के इकबालिया बयान; में पुलिस निरीक्षक पी.डब्ल्यू.36 द्वारा दर्ज किया गयाथा अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह नरिसिम्हा रेडडी का बहनोई है। उन्होंने आगे कहा कि स्वीकारोक्ति के अनुसार वह कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई जिससे हत्या की गई थी

9. उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीडब्लू 5 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा किया है जो कोई और नहीं बल्कि कोर्ट कांस्टेबल थे और जिन्होंने घटना के बाद कुछ समय तक अपीलकर्ता का पीछा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि पीडब्लू 5 और 6 इसलिए घटना के स्वाभाविक गवाह थे।। उनके पास अपीलकर्ता पर प्रहार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था और उनके साक्ष्यों पर विश्वास किया जाना चाहिए।

10. परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में देरी के संबंध मे उन्होंने प्रस्तुत किया कि परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कोई असामान्य देरी नहीं हुई क्योंकि अपीलकर्ता को आठ अन्य लोगों के साथ 9/10 मार्च 2005 को गिरफ्तार किया गया था और 11 मार्च को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 2005 और उसके बाद 7 अप्रैलए 2005 को पुलिस निरीक्षक; पीडब्लू.36 द्वारा परीक्षण पहचान परेड

आयोजित करने के लिए एक मांग की गई थी और 23 अप्रैल 2005 को मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में बचाव पक्ष ने जांच अधिकारी; पीडब्लू.36 से देरी यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा है।

11. श्री रेड्डी ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश 2000 1 एससीसी 471, का हवाला दिया जिसमें इस न्यायालय ने देखा है कि यदि परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने वाले मजिस्ट्रेटों की कार्यवाही से गड्ढों को दूर किया जाना था तो संभवतः कोई भी परीक्षण पहचान परेड नहीं जहो सकती । एक या दो चूक से बच जाएंगे और टेस्ट आईडेन्टीफिकेशन परेड अनउपयोगी हो जाएगे। उन्होंने दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य; 2001, 3 एससीसी 468 पर भी भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि घटना के 7 से 8 साल बाद आयोजित एक परीक्षण पहचान परेड खराब नहीं हुई थी जहां कि पहचान की एक स्थाई छापद थी। घटना के दौरान आरोपी को पकड लिया गया।

12. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने मोहम्मद असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2001 9 एससीसी 362 में आयोजित किया है जहां एक चश्मदीद गवाह की गवाही को घटना के साथ साथ घटना में आरोपी की भूमिका के सम्बन्ध में दूसरे चश्मदीद गवाह द्वारा समर्थित किया जाता है और छोटी.मोटी चूक यदि कोई हो परीक्षण पहचान परेड के संचालन में आरोपी को बरी करने का कारण नहीं हो सकता है उन्होंने वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया। पीडब्लू 1,5 व 6 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर हमले की बात कही है और उनके साक्ष्यों से पुष्ट होते है। पीडब्लू 34 और 36 सहित अन्य गवाहों में से एक । उनके अनुसार यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के

समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी मानते हैं।

13. पहला गवाह जिस पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया है वह मृतक के पिता पीडब्लू.1 हैं। पीडब्लू.1 का साक्ष्य यह है कि 28.02.2005 को उनके बेटे और श्रीदेवी के खिलाफ एक मामला द्वितीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पोस्ट किया गया था और वह अपने बेटे और श्रीदेवी के साथ अदालत परिसर में गए थे और वे जैसे ही अदालत में उपस्थित हु थे, और मुकदमा बुलाया गया और लगभग 11.00 बजे अदालत से बाहर आया और उस समय नरसिंग यादव आरोपी नंबर 2 जो ध्वज.स्तंभ पर खड़ा था ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और जबकि उनका मृत बेटा तिरछा करने की कोशिश कर रहा था उसके चेहरे से डी मिर्च पाउडर आरोपी नंबर 1; अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी से उसका पीछा किया और वह अपीलकर्ता के पीछे भागा और जब मृतक अदालत के गलियारे में आया तो उसने बचाने के लिए अपना सिर एक तरफ छुका लिया कुल्हाड़ी का वार, जिससे वह वार दूसरे व्यक्ति को लगा। इसके बाद मृतक द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की बांयी ओर मुड गया और इस प्रक्रिया में मृतक की चप्पल फिसल गई और वह छुक गया और तुरन्त अपीलकर्ता ने मृतक की गर्दन की बांयी ओर चाकू से वार कर दिया पी.डब्ल्यू.1 को देखकर आरोपी नम्बर 1 ने कुल्हाडी उठाई लेकिन पी.डब्ल्यू.1 थोडा पीछे चला गया और फिर अपीलकर्ता ने मृतक की गर्दन के बांयी ओर और कान के पास तीन वार वार किया। पीडब्लू.1 आगे कहा है कि यह द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कोर्ट हॉल के गलियारे में हुआ। इसके बाद अपीलकर्ता ने धमकी भरे इशारे दिखाते हुए हवा में कुल्हाड़ी बजाना शुरू कर दिया ताकि लोगों के मन में दहशत पैदा हो और डर पैदा हो और हालांकि एक वकील ने अपीलकर्ता को पकड़ने की

कोशिश की लेकिन वह उसे पकड नहीं सका और अपीलकर्ता ने परिसर की दीवार फांद दी। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कोर्ट की ओर चले गये।

14. पीडब्लू 1 द्वारा अपीलकर्ता राम का नाम बताने का साक्ष्य मृतक के हमलावर के रूप में रेड्डी विश्वसनीय नहीं है हालांकि पी.डब्ल्यू.1 ने कहा है कि वह जानता था कि आरोपी नंबर 1; अपीलकर्ता नरसिम्हा रेड्डी का बहनोई था और उसका नाम राम रेड्डी था। एफआईआर; एक्सपी.1 जो घटना के एक घंटे से भी कम समय में लगभग 11.45 बजे दर्ज की गई थी। उसमें अपीलकर्ता का नाम राम रेड्डी नहीं बताया गया है। जांच अधिकारी; पीडब्लू.36 का साक्ष्य यह भी है कि पीडब्लू.1 ने पूछताछ के समय अपीलकर्ता का नाम राम रेड्डी नहीं बताया था। यदि पीडब्लू.1 घटना के समय अपीलकर्ता को राम रेड्डी के रूप में जानता था तो उसने एफआईआर एक्सपी1 में राम रेड्डी का नाम लिया होता जो उसने घटना के एक घंटे के भीतर दर्ज की थी और उसे पहले भी हमलावर के रूप में नामित किया होता। जांच अधिकारी; पीडब्लू.36 पीडब्लू.1 की ओर से घटना के तुरंत बाद या पूछताछ के समय जांच अधिकारी के समक्ष एफआईआर एक्सपी1 में अपीलकर्ता का नाम राम रेड्डी का उज्ल्लेख नहीं करने की चूक है यह तय करने के लिए प्रांसागिक है कि क्या पी.डब्ल्यू.1 का वह साक्ष्य कि अपीलकर्ता ही हमलावर था विश्वसनीय है श्री सुशील कुमार द्वारा उद्धृत राम कुमार पांडे बनाम मध्यप्रदेश राज्य; (1975) 3 एस सीसी 815 इस न्यायालय ने माना है कि मामले की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली एफआईआर में महत्वपूर्ण तथ्यों की भूल धारा 11 के तहत प्रांसागिक है अभियोजन मामले की सत्यता का निर्धारण करने में साक्ष्य अधिनियम उस मामले में एफआईआर में अपीलकर्ता द्वारा हरिबिन्दरसिंह को पहुंचाई गई किसी भी चोट का उल्लेख करने की चूक को मामले की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया था।

15. इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्ल्यू.1 वास्तव में घटना के समय अपीलकर्ता को नहीं जानता था और इसलिए उसने एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया; उदाहरण पी 1. जांच अधिकारी; पीडब्लू.36 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पीडब्लू.1 आरोपी को पहले से नहीं जानता था और इसलिए उसने परीक्षण पहचान परेड में पीडब्लू.1 को शामिल करने का निवेदन किया। परीक्ष्पाण पहचान परेड में पी.डब्ल्यू.1 मृतक के हमलावर के रूपमें किसी भी व्यक्ति कयी पहचान नहीं कर सका परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने वाले मजिस्ट्रेट पी.डब्ल्यू.34 का साक्ष्य यह है कि पीडब्लू.1 ने उसके सामने यह नहीं बताया कि वह अपीलकर्ता.राम रेड्डी की पहचान कर सकता है परीक्षण पहचान परेड की कार्यवाही; उदाहरण पी 64 यह दर्शाता है कि पीडब्लू.1 ने किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं की है। गवाह बॉक्स में पीडब्लू.1 द्वारा दिया गया बयान कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था, उसके संदेह पर आधारित प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने द्वेष के कारण मृतक की हत्या कर दी होगी। पीडब्लू.1 का यह संदेह उसकी अपनी गवाही से साबित होता है कि राम रेड्डी; अभियुक्त नंबर 1 मृतक नरसिम्हा रेड्डी का बहनोई है और अपने बहनोई के प्रति द्वेष रखता है। मारा जा रहा है आरोपी नंबर 1 ने ऐसा किया है।

16. अगला चश्मदीद गवाह जिस पर हाई कोर्ट ने भरोसा जताया है वह है पीडब्लू.5 है उसका साक्ष्य यह है कि वह एलबी नगर थाने में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरतथा। नगर पीएस 11.06.2001 से 28.02.2005 को वह द्वितीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कोर्ट कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए कोर्ट ड्यूटी पर था और वह सुबह लगभग 10.00 या 10.30 बजे अदालत में आया था। लगभग 11.00 बजे वह अदालत के प्रवेश द्वार के सामने था और उसने लोगों को अदालत भवन में द्वितीय एडीजे अदालत की ओर भागते देखा। उसने देखा कि एक सफेद कुर्ता और पायजामा पहने एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति का

पीछा करते हुए अदालत भवन की ओर भाग रहा है और सफेद कुर्ता और पायजामा वाला व्यक्ति द्वितीय एडीजे के पास अपने सामने वाले व्यक्ति की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। कोर्ट हॉल और हमलावर करने के बाद हमलावर मुख्य प्रवेश द्वार से परिसर की दीवार की ओर भाग रहा था और फिर उसने और महेन्द्र पीडब्ल्सयू.4 जो एक वकील थे ने हमलावर का पीछा किया लेकिन हमलावर भाग गया और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर चला गया परिसर की दीवार का, में अंदर पी.डब्ल्यू.4 ने हमलावर पर एक पत्थर फेंका जो उसकी पीठ पर लगा और फिर वह द्वितीय एडीजे में लोट आया कोर्ट हॉल में जहां उन्होंने पीडित को बेहोशी की सांस के साथ जमीन पर पड़ा हुआदेखा अपनी गवाही देते समय पी.डब्ल्यू.5 ने कोर्ट हॉल मं खडे अपीलकर्ता की ओर ईशारा किया और उसे हमलावर के रूप में पहचाना।

17. पीडब्लू.5 जो अदालत में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला एक कांस्टेबल था, से घटना से पहले अपीलकर्ता को पहले जानने की उम्मीद नहीं थी लेकिन उसका दावा है कि उन्होंने 28.02.2005 को अपीलकर्ता को देखा था। जब उसने मृतक पर कुल्हाडी से हमला कर दिया उसे बुलाया गया परीक्षण पहचान परेड के लिए चेरलापल्ली जेल में और उन्होंने परीक्षण पहचान परेड के दौरान अपीलकर्ता की पहचान हमलावर के रूप में की है। यदि पीडब्लू.5 ने 23.04.2005 को परीक्षण पहचान परेड में अपीलकर्ता को पहली बार देखा होता तो उसके साक्ष्य भरोसेमंद होते हालांकि उसका साक्ष्य यह है कि वह तब उपस्थित था जब आरोपी नम्बर 1; अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों को 11.03.2005 को अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया था और इसलिए वह 11.03.2005 को अपीलकर्ता की शारीरिक विशेषताओं को जानता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि जब 23.04.2005 को परीक्षण पहचान परेड हुई तो पी.डब्ल्यू.5 ने न केवल अपीलकर्ता को देखा था बल्कि उसे यह भी पता था कि अपीलकर्ता 28.02.2005 की अदालत परिसर में हुई हत्या का आरोपी था।

18. लालसिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2003 12 एससीसी 554 श्री सुशील कुमार द्वारा उद्धृत इस न्यायालय ने माना है कि न्यायालय को परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने से पहले गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को खारिज करना होगा। वास्तव में श्री रेड्डी द्वारा उद्धृत महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश मामले में इस न्यायालय ने नोट किया है कि सभी सावधानियां बरती गई थीं कि गवाह पहचान परेड के परीक्षण के लिए लॉक.अप से स्थान तक पारगमन के दौरान संदिग्ध को नहीं देख सकें लेकिन जैसा कि हमने देखा है,पीडब्लू.5 ने अपीलकर्ता को 11.03.2005 को अदालत में देखा था और पहले से ही जानता था कि अपीलकर्ता आरोपी था जब 23.04.2005 को परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई थी इसलिए पी.डब्ल्यू.5 का यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता ही हमलावर था, विश्वसनीय नहीं है।

19. आखिरी चश्मदीद गवाह जिस पर हाई कोर्ट ने भरोसा किया है वह पीडब्लू.6 है। उसका साक्ष्य यह है कि 28 02 2005 को वह सुबह 10.30 बजे अदालत आया और जेएफसीएम पूर्व और उत्तर में उपस्थित हुआ और लगभग 11.00 बजे वह द्वितीय एडीजे के अनुभाग में गया। किसी काम से अदालत लौट रहा था और तभी उसने कुल्हाडी से लेस एक व्यक्ति को मुख्य प्रवेश द्वार की ओर से द्वितीय एडीजे की ओर आते देखा। कोर्ट हॉल और उसने उस व्यक्ति की गर्दन पर कुल्हाडी से वार कर दिया जिसका वह पीछा कर रहा था। पीडित जमीनपरगिर पडा और वह तथा उसका नाम एक नागरिक था। कुमार ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन हमलावर ने कुल्हाड़ी घुमाकर सभी को आतंकित कर दिया और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया पीडब्लू.6 का और सबूत यह है कि जब हमलावर ने झटका दिया तो वह एक तरफ झुक गया और फिर हमलावर मुख्य द्वार से चला गया। उन्हें परीक्षण पहचान परेड के लिए चेरलापल्ली जेल में बुलाया गया था जिसमें उन्होंने आरोपी नंबर 1; अपीलकर्ता की पहचान हमलावर के रूप में की थी। हमलावर के रूप में अपीलकर्ता की पहचान के

संबंध में पीडब्लू.6 के सबूतों पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि परीक्षण पहचान परेड में उन्होंने कहा है कि संदिग्ध के दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं और परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने वाले मतिजस्ट्रेट ;;पीडब्लू.34 द्वने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनकी रिपोर्ट; उदाहरण पी 64) के अनुसार दोनों संदिग्धों में से कोई भी नहीं है दाहिने गाल पर चोट का निशान था।

20. इस न्यायालय ने दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य में फैसला सुनाया है सुप्रा का हवाला श्री रेडडी में दिया है कि परीक्षण पहचान का उद्देश्य चश्मीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि करना है पहले की पहचान के रूप में और वह मूल किसी गवाह का साक्ष्य ही न्यायालय में साक्ष्य होता है और यदि ऐसा है साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया तो पुष्टि का अभाव द्वारा परीक्षण पहचान किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं होगी। वर्तमान मामले के तथ्यों में एक भीड़ ने मृतक पर हमला किया द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायालय के भीड भरे गलियारे न्यायाधीश और पी.डब्ल्यू.1, 5, पी..ड 6 अदालत में अपनी साक्ष्य में दावा करे कि उसने आरोपी नम्बर 1 अपीलकेर्ता को पीछा करते हुए देखा है कि मृत्यु कुल्हाडी से हुई है और मृतक पर कुल्हाडी से हमला किया गया उसकी गर्दन पर इन तीन चश्मदीद गवाहों ने भी यही कहा है हमले के तुरन्त बाद अपीलकर्ता अदालत से भाग गया इस प्रकार तीनों चश्मदीदों ने घायलों को देखा जब उसने मृतक के साथ मारपीट की तो वह बहुत ही कम समय के लिए मृत हो गया । कुल्हाडी के साथ और उसके बाद जब वह वहां से भाग निकला न्यायालय परिसर, जब किसी घायल पर हमला किया जाता है भीड भाड वाली जगह पर भीड द्वारा मारा गया मृतक और चश्मदीद गवाह अभियुक्तों, ठोस सबूतों को देखने के लिए बहुत कम समय था। परीक्षण पहचान द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की जानी चाहिए। घटना के तुरन्त बाद परेड आयोजित की गई और आयोजन में कोई देरी हुई। परीक्षण पहचान परेड को अभियोजन मामले के लिए घातक माना जा सकता है। लाल सिंह एवं अन्य में।बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस

न्यायालय ने माना है कि जहां घटना के समय गवाह को अभियुक्त की केवल एक क्षणिक झलक मिली थी, वहां परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

21. इसके अलावा, इस मामले में परीक्षण पहचान परेड अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्ष नहीं रही है। हालाँकि आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, केवल अपीलकर्ता और एक अन्य को परीक्षण पहचान परेड में गवाहों के सामने पेश किया गया था। इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर बहुत अधिक संदेह की गुंजाइश बनती है कि अपीलकर्ता के अलावा कोई और हमलावर नहीं था। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश सुप्रा में जिस पर श्री रेड्डी ने भरोसा जताया था, अदालत ने पाया कि संदिग्ध को सात व्यक्तियों के बीच कहीं भी खड़े होने की अनुमति दी गई थी और गवाहों को उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए कहा गया था जिसे उन्होंने देखा था। महत्वपूर्ण दिन और इन तथ्यों पर इस न्यायालय ने माना कि परीक्षण पहचान परेड उचित रूप से मूर्खतापूर्ण तरीके से आयोजित की गई थी। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है और इसलिए, परीक्षण पहचान परेड द्वारा संदिग्ध की पहचान पर पीडब्लू 1, 5 और 6 के ठोस सबूतों की पुष्टि भरोसेमंद नहीं है।

22. सत्य है जैसा कि श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों पीडब्लू1, 5, 6 और अन्य गवाहों के साक्ष्य के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था और वह ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा साक्ष्य के आधार पर तथ्य के समवर्ती अंत पर इस न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने ए. सुबैर बनाम केरल राज्य (2009) 6 एससीसी 587 जब अभियोजन पेश किए गए सबूतों पर दोषसिद्धि को कायम रखना असुरक्षित होगा और निचली अदालतों के निर्णयों

में हस्तक्षेप करना होगा। यह न्यायालय में मनकम्मा बनाम केरल राजय (2009) 10 एससीसी 164, कि आम तौर पर यह न्यायालय किसी मामले में दोबारा हस्तक्षेप नहीं करता है साक्ष्य की सराहना करना है लेकिन जब यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा यांत्रिक तरीके से और रिकॉर्ड पर तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार किए बिना साक्ष्य की सराहना की गई है, तो इस न्यायालय को न्याय के हित में साक्ष्य की फिर से सराहना करनी होगी न्याय का। यह बी में एक ऐसा मामला है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने यांत्रिकरूप से पीडब्लू 1, 5 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा किया है कि यह अपीलकर्ता था जिसने अदालत परिसर में मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, बिना इसकी सराहना किए हमलावर की पहचान के संबंध में पीडब्लू 1, 5 और 6 के सबूतों पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना असुरक्षित था।

23. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता, जो हिरासत में है, को किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाए।

आर.पी. अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री किरण कुमार चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।